न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः भवानी सिंह देथा, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 137/2018 अपील (RCMS/2018/00152)
पंजीयन दिनांक — 22.10.2018
निर्णय दिनांक — 10.06.2019

1. श्री शम्भुलाल पिता श्री उदा जी रेगर, निवासी चेंची, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

—अपीलान्ट

बनाम

1. श्री बाबूलाल पिता श्री पन्ना लाल रेगर, निवासी चेंची, तहसील बेगूं जिला चित्तौड़गढ़।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थितिः—
1. श्री संजय सेन — वकील अपीलान्ट

प्रकरण संख्या—12/2016 में न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.11.2016 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—75 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 10.06.2018

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रकरण संख्या—12/2016, में पारित निर्णय दिनांक 04.11.2016 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- अधीनस्थ न्यायालय समक्ष रेस्पोडेंट श्री बाबूलाल द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि श्री भंवरलाल पिता उदा रेगर निवासी चेंची की मृत्यु हो चुकी है। श्री भंवरलाल ने अपनी मृत्यु पूर्व दिनांक 23.02.2015 को अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति दो साक्षियों के समक्ष वसीयतनामा निष्पादित कर उसके नाम की। श्री भंवरलाल की मृत्यु होने से उनके स्वामित्व व आधिपत्य की कृषि भूमि का नामान्तरकरण वसीयत नामें के आधार पर उसके नाम दर्ज किया जावें।

- तहसीलदार, बेगूं द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार निर्णय दिनांक 04.11.2016 को पारित किया कि—

''जांच में पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि श्री भंवरलाल पिता उदा रेगर निवासी चेंची की मृत्यु दिनांक 28.12.2015 को हो चुकी है। मृतक भंवरलाल के एक पुत्री रोडी बाई थी, जिसकी शादी काटुन्दा हुई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है। मृतक भंवरलाल के जायन्दा पुत्र नहीं है एवं पत्नी श्रीमती पन्नी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक भंवरलाल ने अपने जीवित अवस्था में एक अपंजीकृत वसीयतनामा श्री बाबूलाल पिता पन्ना रेगर के पक्ष में किया है। भंवरलाल की वृद्वावस्था में सेवाचाकरी बाबूलाल द्वारा की गई थी एवं मृत्यु उपरान्त समस्त क्रियाक्रम बाबूलाल द्वारा किया गया था।

रिपोर्ट पटवारी एवं वसीयतनामें के साक्ष्य एवं शजरे अनुसार साक्ष्यों के बयान लिये गये। साक्ष्य में गोपीलाल पिता सुखा धाकड़ निवासी चेंची ने अपने बयान में बताया कि श्री भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। भंवरलाल ने मेरे समक्ष वसीयतनामा लिखाया जो सही है। बाबूलाल ने भंवरलाल को केंसर का इलाज करवाया। साक्ष्य में शम्भूलाला पिता उदा रेगर निवासी चेंची ने बताया कि भंवरलाल की मृत्यु हो चुकी है। भंवरलाल का केंसर का ईलाज बाबूलाल द्वारा कराया गया। भंवरलाल की हिस्से की जमीन पर हम दोनों भाईयों पन्नालाल एवं शंभुलाल का कब्जा काश्त है। मृतक भंवरलाल के हिस्से की आधी जमीन मेरे नाम कराई गई। बाबूलाल के नाम वसीयत की जिससें मैं सहमत नहीं हूॅ। श्री बाबूलाल ने अपने बयान में बताया कि भंवरलाल जी ने मेरे पक्ष में वसीयतनामा लिखा जो सही है। उनकी सेवा चाकरी एवं बीमारी में इलाज मेरे द्वारा ही करवाया गया।

अतः पटवारी हल्का की जांच रिपोर्ट एवं गवाहों के बयान के आधार पर मैं इस नतीजे पर पंहुचा कि श्री भंवरलाल पिता उदा रेगर निवासी चेंची की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पत्नि की भी मृत्यु हो चुकी है। उनकी पुत्री की भी मृत्यु हो चुकी है। अतः श्री भंवरलाल पिता श्री उदा रेगर निवासी चेंची की कृषि भूमि का विरासत का नामान्तरकरण वसीयतनामा अनुसार श्री बाबूलाल पिता श्री पन्नालाल रेगर निवासी चेंची के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।''

अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा पारित निर्णय 04.11.2016 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 16.10.2018 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील अपीलान्ट उपस्थित। रेस्पोडेंट के ओर से कोई उपस्थित नहीं। दिनांक 03.06.2019 को वकील अपीलान्ट की एकतरफा बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील एवं मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि मौजूदा रेस्पोडेंट द्वारा तथाकथित वसीयत दिनांक 23.02.2015 के आधार पर जो कृषि भूमि अपने नाम नामान्तरित कराना चाहता है वह भंवरलाल की स्वअर्जित न होकर पैतृक कृषि भूमि है। मृतक श्री भंवरलाल जी अपने जीवनकाल में ही अपनी सम्पूर्ण कृषि भूमि अपीलान्ट व रेस्पोडेंट दोनों जो कि मृतक के भतीजे है, बराबर–बराबर अपने जीवित रहते बांट दी थी। उसी अनुसार वह उक्त भूमि पर काबिज है। श्री भंवरलाल द्वारा कभी भी रेस्पोडेंट के पक्ष में कोई वसीयत निष्पादित नहीं की गई है। तथाकथित वसीयत

कूटरचित तरिके से तैयार की गई है। मौजूदा रेस्पाडेंट वसीयत के आधार पर कोई हक व अधिकार रखता है तो उसे घोषणा का नियमित वाद लाकर अपनी वसीयत को साबित करा घोषणा कराया जाना था। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों पर विचार नहीं कर निर्णय पारित किया जो निरस्त योग्य है। अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अधिवक्ता नियुक्त किए गए जिनके आश्वासन पर अपीलार्थी हर पेशी पर उपस्थित नहीं हुआ और अधिक समय निकलने उपरान्त अधिवक्ता से सम्पर्क करने पर निर्णय की जानकारी हुई और जानकारी प्राप्त होते ही नकल प्राप्त कर विचाराधीन अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया गया। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किये जाने का अनुरोध किया हैं।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहनता से एवं सावधानीपूर्वक अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से ज्ञात होता है कि श्री भंवरलाल पिता उदा रेगर निवासी चेंची की मृत्यु दिनांक 28.12.2015 को हो चुकी है। मृतक भंवरलाल के एक पुत्री रोडी बाई थी, जिसकी शादी काटुन्दा हुई थी, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसके कोई पुत्र व पुत्री नहीं है। मृतक भंवरलाल के जायन्दा पुत्र नहीं है एवं पत्नी श्रीमती पन्नी बाई की भी मृत्यु हो चुकी है। मृतक भंवरलाल ने अपने जीवित अवस्था में एक अपंजीकृत वसीयतनामा श्री बाबूलाल पिता पन्ना रेगर के पक्ष में किया है। तहसीलदार, बेगूं समक्ष प्रकरण में कार्यवाही के दौरान वसीयत में अंकित गवाहान ने वसीयत सही होने की पुष्टि की है। उक्त वसीयत को अधीनस्थ न्यायालय समक्ष गवाहान द्वारा प्रमाणित किया है। नामान्तरकरण की कार्यवाही में सरसरी जांच नामान्तरकरण तस्दीक करने वाली आथोरिटी के स्तर पर की जानी वांछित है, जिसके क्रम में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा जांच कार्यवाही सम्पादित की गई। तहसीलदार को वसीयत के आधार पर नामान्तकरण के मामलें में वसीयत में जांच करने का अधिकार है यद्यपि विवादग्रस्त वसीयत के सम्बन्ध में में अंतिम निर्णय सिविल न्यायालय का ही बाध्यकारी होगा किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि जिस आधार पर नामान्तरकरण चाहा गया है उस आधार की तहसीलदार जांच न करें। प्रश्नगत प्रकरण में उक्त वसीयत को अपीलान्ट द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है, इस सम्बन्ध में पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। न ही किसी सक्षम न्यायालय में वसीयत को निरस्त कराने या फर्जी घोषित कराने का दावा प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है। जब तक उक्त वसीयत को किसी भी सक्षम न्यायालय में निरस्त नहीं कराया जाता है, तब कर उसकी वैधता/सत्यता पर प्रश्न किया जाना उचित नहीं है, आलौच्य आदेश पारित किये जाने पूर्व अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा सम्बन्धित व्यक्तियों के साक्ष्य लिए गए जिन्होनें वसीयत की सत्यता/वैधता को साबित किया है। विधि के प्रतिपादित सिद्वान्त अनुसार वसीयत का रजिस्टर्ड होना भी आवश्यक नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है। उल्लेखनीय है कि अपीलान्ट द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण भी संतोषजनक प्रतीत नहीं होते है,

ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–5 मयाद अधिनियम का भी स्वीकार योग्य नहीं है।

इन्ही तथ्यों एवं उपरोक्त परिस्थितियों के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं द्वारा प्रकरण में तथ्यों की पूर्ण जांच व विवेचना कर, विधिक प्रावधानों पर विचार कर, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का परिक्षण एवं विश्लेषण करते हुए विधिसम्मत निर्णय दिनांक 04.11.2016 पारित किया जाना प्रतीत होता है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं समझते है।

अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बेगूं का निर्णय दिनांक 04.11.2016 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानी सिंह देथा)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official